2021/139

फर्द अहकाम
(नियम 20)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री राजेश कुमार पत्रकार निवासी आकराभट्टा तहसील आबूरोड़ जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आबूरोड

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 5 / वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
03.08.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आबूरोड को दिनॉक 12.04.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि दिनांक 01.01.2010 से 31.03.2021 तक ईदगाह आबूरोड में नगरपालिका आबूरोड द्वारा क्या–क्या कार्य कब–कब करवाए एवं किस फर्म द्वारा करवाए एवं करवाए गए कार्यों के आदेश कब जारी हुए से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आबूरोड को दिनॉक 12.04.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि दिनांक 01.01.2010 से 31.03.2021 तक ईदगाह आबूरोड में नगरपालिका आबूरोड द्वारा क्या–क्या कार्य कब–कब करवाए एवं किस फर्म द्वारा करवाए एवं करवाए गए कार्यों के आदेश कब जारी हुए से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। चूंकि अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आबूरोड के अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरोही नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही Signature Not Verified Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal Date: 2021.10.15 12:12:10 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with CamScanner